न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती चंचल वर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 81/2016 प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 111, 128रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

बाबु सिंह S/0 नारायण सिंह राजपूत नि. पीपास तह. कोटड़ी जिला. भीलवाड़ा

बनाम

(1) किशन सिंह S/0 भवान सिंह राजपूत निवासी पीपास तह. कोटड़ी जि. भीलवाड़ा

(2) उदय सिंह S/0 भवान सिंह राजपूत निवासी पीपास तह. कोटड़ी जि. भीलवाड़ा

(3) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला. भीलवाड़ा।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि.1956

आदेश

दिनांक 12.03.2016

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 24.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीपास तहसील कोटड़ी की नवीन खतौनी सं0 135 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक कुल किता 02 रकबा 8.09 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें / संयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी कियें गयें। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लियें गयें। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुउपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नहीं करायें जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत कियें जाते है एवं प्रकरण में सबंधित भू0अ0निरीक्षक आमली को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम पीपास प0म0 आमली स्थित नवीन खतौनी संख्या 135 कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक .... कुल किता 02 रकबा 8.09 बीघा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्ष को सूचित किया जाकर बाद तिथि निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमीश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 700/- रूपये जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार कोटड़ी विधिवत पत्थरगढ़ी के आदेश सबंधित भू0अ0नि0 को करेंगें।

—।।—

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि — तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आवदेक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

12/3/16

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा